न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2023/53

मोडी बाई पत्नी कृपाशंकर जाति धोबी निवासी ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान ।

– अपीलांट

बनाम

1. रवि प्रकाश शर्मा आत्मज जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं 552, सेक्टर 7, केशवपुरा, कोटा(राज0)।
2. राहुल शर्मा आत्मज जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं 552, सेक्टर 7, केशवपुरा, कोटा(राज0)।
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार लाडपुरा, कोटा(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). मोडी बाई– अपीलांट
(2). रवि प्रकाश शर्मा– रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3). राहुल शर्मा– रेस्पोडेन्ट संख्या 2

निर्णय **दिनांक 20.03.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 80A/22 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.01.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 ने एक वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183, 188 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में वादीगण रेस्पोडेन्टगणद संख्या 1 व 2 के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा

संख्या 1124 की रकबा 1.77 हेक्टर तथा खसरा संख्या 1126 की रकबा 0.63 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.40 हेक्टर स्थित है। वादीगण रेस्पोडेंटगण संख्या 1 व 2 की उपरोक्त दोनो खसरा नम्बरान की आराजीयात मे से दक्षिण दिशा की ओर एक बीघा आराजी पर प्रतिवादी अपीलांट व अन्य प्रतिवादीगण ने जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर लिया है, इस सम्बंध मे वादीगण रेस्पोडेंटगण संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 28.07.2021 को एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा को प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 29.07.2021 को सम्बंधित पटवारी हल्का से रिपोर्ट मांगी गई। उक्त रिपोर्ट दिनांक 30.07.2021 को हल्का पटवारी द्वारा पेश की गई जिसमें वादीगण रेस्पोडेंटगण संख्या 1 व 2 की आराजी पर जबरन रास्ता बनाकर कब्जा किया हुआ बताया गया है तथा गेट लगाया हुआ है उसमे गाय भैंसे मवेशी बांधते है। जिससे फसलो को नुकसान पहुंचता है, जबकि राजस्व रिकोर्ड में उक्त भूमि पर आम रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नही है । वादीगण रेस्पोडेंटगण संख्या 1 व 2 की उक्त आराजी पर कोट हो रहा है जिसके अन्दर से एक बीघा आराजी पर कब्जा कर पक्की लौहे की फाटक लगा ली है। वादीगण रेस्पोडेंटगण संख्या 1 व 2 द्वारा मना करने पर प्रतिवादी अपीलांट व अन्य प्रतिवादीगण लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा होते है तथा झूठे मुकदमों मे फँसाने की धमकीयाँ देते है। वर्तमान में प्रतिवादी अपीलांट व अन्य प्रतिवादीगण उक्त कब्जा शुदा आराजी पर तार फेन्सिग करने पर आमादा है, जिसका कि उन्हें कोई अधिकार नही है। वादीगण रेस्पोडेंटगण संख्या 1 व 2 के लिए यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि वह प्रतिवादी अपीलांट व अन्य प्रतिवादीगण को माननीय न्यायालय की सहायता से उक्त कब्जाशुदा आराजी से बेदखल करवाएं तथा कब्जा प्राप्त करें एवं प्रतिवादी अपीलांट व अन्य प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाऐं कि वह वादीगण रेस्पोडेंटगण संख्या 1 व 2 की आराजी पर किसी प्रकार की तार फैन्सिग नही करें और न ही अन्य तरह से अनाधिकृत कृत्य करें । वाद कारण दिनांक 29.07.2021 को वादीगण रेस्पोडेंटगण संख्या 1 व 2 की आराजी पर जबरन कब्जा करने तथा कब्जा छोड़ने की कहने पर मारपीट पर आमादा होने तथा अन्तिम बार दिनांक 15.10.2022 को उक्त अनाधिकृत कब्जा की हुई आराजी पर तार बन्दी करने की कहने पर तथा वादीगण रेस्पोडेंटगण संख्या 1 व 2 द्वारा मना करने पर एवं वादीगण रेस्पोडेंटगण संख्या 1 व 2 के साथ मारपीट करने पर उत्पन्न हुआ । अन्त मे प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किये जाने तथा वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 के शान्तिपूर्ण काश्त करने मे व्यवधान नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 09.01.2023 को वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा को ग्राम बनियानी, तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 1124, 1126 कुल किता 2 रकबा 2.40 हैक्टर की पैमाईस की जाकर तथा प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा पाये जाने पर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को उनके खाते की आराजी का नियमानुसार कब्जा संभलाये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की। साथ ही प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त मे किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की ।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.01.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की।

5. दौराने बहस अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वयं उपस्थित होकर मौखिक बहस के पश्चात लिखित बहस प्रस्तुत की। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 9–1–2023 को एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता की अनुपालना किए बिना एकतरफा सुनवाई कर पारित किया गया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार निर्णय दोनो पक्षो पर सुना जाकर पारित किया जाना आवश्यक है। लिखित बहस के माध्यम से अपीलांट ने यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दिनांक 31–10–2022 को दर्ज किया गया। तत्पश्चात दिनांक 31–10–2022 को ही अपीलांट प्रतिवादी को नोटिस प्रेषित किए गए जो दिनांक 9–11–2022 को तामील करवाए गए । उक्त नोटिस अपीलांट / प्रतिवादी द्वारा लेने से इंकार करने का अंकन है। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तामील को बाद तामील मानते हुए दिनांक 14–11–2022 को अपीलांट व अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी जो न्यायोचित नहीं है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी0पी0सी0 के प्रावधानो का उल्लंघन किया

गया है जिसमे दिनांक 9–11–2022 से जब अपीलाण्ट/प्रतिवादी से तामील करवायी गई। उक्त दिनांक के 30 दिवस पश्चात एकतरफा कार्यवाही की जानी चाहिए थी, जो नही की गई। मात्र 5 दिवस मे ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई, जो विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय बिना माइन्ड एप्लाई किए सरसरी तोर पर पारित किया है, जो आर्बीट्रेरी, केप्रिशियस तथा पर्वस है तथा कानूनी सिद्वान्तो के विपरीत है। अपीलांट प्रतिवादी की कृषि आराजी खसरा नंबर 1125 रकबा 0.52 है0 पर जाने का रास्ता वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की कृषि आराजी के समीप खाल की खाली पड़ी सरकारी जमीन मे से होकर जाता है, जो कि लगभग 15 फीट चौडा रास्ता है। उक्त रास्ता मुख्य सडक से अपीलांट प्रतिवादी की कृषि आरजी तक जाता है, जिसका उपयोग अपीलांट प्रतिवादी द्वारा कई वर्षो से किया जा रहा है। कृषि आराजी खसरा नंबर 1124, 1126 के वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 वर्तमान मे खातेदार राजस्व रिकार्ड मे दर्शित है , इससे पूर्व रामपाल आत्मज भूणाजी जाति गुर्जर निवासी ग्राम खेडारसूलपुर वाले उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार थे तथा उनके पूर्व के खातेदार से अपीलांट उक्त रास्ते का उपयोग करती चली आ रही है। लेकिन किसी ने कोई आपत्ति नही की। वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 के मन मे बदनियति आ जाने से वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 रास्ते की खाल की आराजी पर कब्जा करना चाहते है, जिसके लिए उन्होने अपीलांट प्रतिवादी को उक्त रास्ते के उपयोग से वंचित करने के उद्देश्य से अधीनस्थ न्यायालय मे झूठे तथ्यो पर दावा प्रस्तुत किया है। अपीलांट प्रतिवादी की कृषि आराजी पर जाने का उक्त रास्ता वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की कृषि आराजी के सहारे सहारे खाल की खाली जमीन मे से होकर अपीलांट प्रतिवादी के खेत पर जाता है जिस पर अपीलांट प्रतिवादी कई वर्षो से कृषि आराजी को जोतने व सिंचाई हेतु उपयोग करता आ रहा है। उक्त रास्ते की आराजी पर वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 अनाधिकृत कब्जा कर स्वंय की कृषि आराजी में शामिल करने पर आमादा है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 को कोई अधिकार प्राप्त नही है कि वह अपीलांट प्रतिवादी को रास्ते के उपयोग से वंचित कर उक्त रास्ते की आराजी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करे। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकतरफा पारित किया गया है जो वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 के झूठे तथ्यों के दावे पर पारित किया गया है जो अपास्त किए जाने योग्य है। अपील प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाकर वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वह अपीलांट की कृषि आराजी पर जाने के रास्ते को किसी प्रकार से अवरुद्ध ना करे।

6. दौराने बहस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने मौखिक बहस के बाद लिखित बहस प्रस्तुत की। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पॉडेंटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट एवं अन्य पक्षकारों की इत्तला सम्यक रूप से तहसील की तामील कुलिन्दा द्वारा करवा दी गई थी, लेकिन बावजूद सूचना के अपीलांट व अन्य पक्षकारों ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति नहीं दी। इस कारण से माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय पर यह आक्षेप लगाया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा सुनवाई कर सिविल प्रक्रिया संहिता की पालना नहीं की है। लेकिन यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट एवं अन्य प्रतिवादीगण को तामिल कुलिन्दा द्वारा घर पर तलाश किया घर पर नहीं मिलने पर तामिल कुलिन्दा द्वारा इनके खेत पर जाकर प्रोपर सूचना दी तथा नोटिस लेने को कहा लेकिन इनके द्वारा नोटिस लेने से मना कर दिया और इसी वजह से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है जो पूर्णतया विधि सम्मत है। क्योंकि सम्मन तहसील के तामील कुलिन्दा द्वारा तामील करवा कर न्यायालय में पेश किए थे, ऐसी स्थिति में प्रोसेस सर्वर द्वारा कराई गई तामील में 30 दिन की अवधि का कोई प्रावधान सी.पी.सी. में नहीं है। रजिस्टर्ड डाक द्वारा तामिल कराने की स्थिति में 30 दिन की अवधि का प्रावधान सी.पी.सी. में है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा की कृषि आराजी खसरा नंबर 1124 वा 1126 कुल किता 2 रकबा 2.40 हे0 की पैमाइश की जाकर तथा प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा पाया जाने पर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को उनके खाते की आराजी का नियमानुसार कब्जा सम्भलाये जाने के आदेश प्रदान किए हैं, जो न्याय सम्मत है। इसलिए अपीलांट द्वारा जो अपील पेश की गई है वह सारहीन है तथा काबिले खारिज है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के अलावा अन्य पक्षकार भी प्रतिवादीगण के रूप में संस्थित है जिनको अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इससे यह जाहिर हो रहा है कि उनको अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत और उचित लगा है। इस कारण से भी अपील पक्षकारों के अभाव में पोषणीय नहीं है। अपीलांट का रेस्पोंडेंट की आराजी पर कब्जा करने की पुष्टि तहसील रिपोर्ट से हो रही है। इसके विपरीत अपीलांट द्वारा कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। उक्त आराजी के संबंध में अपीलांट द्वारा जो आक्षेप किया गया है कि उक्त आराजी वादीगण के पूर्व रामपाल पुत्र भूणा जी गुर्जर के खाते में होना बताया है जिसके संबंध में कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं है, यह तथ्य सरासर गलत है। यह आराजी वादीगण से पूर्व

श्रीमती रतनी बाई बेवा बृजमोहन के नाम दर्ज थी, जिसके संबंध में लिखित बहस के साथ दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हैं। अपीलांट व उसके पुत्रों द्वारा रेस्पोंडेंटगण की आराजी पर जबरन कब्जा कर रास्ता बनाकर पक्का लोहे का दरवाजा लगाया हुआ है तथा मवेशी बांधते हैं जिसकी पुष्टि तहसील रिपोर्ट दिनांक 30–07–2021 से होती है। इसलिए प्रस्तुत अपील में कोई सार नहीं है। जिसे भारी हर्जे के साथ खारिज किया जाना चाहिए अतः लिखित बहस पेश कर अपील सव्यय खारिज फरमाए जाने के लिए निवेदन किया।

7. हमने उभय पक्षकारान की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों नकल जमाबंदी ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा संवत् 2071–2074 (प्रदर्श–1) व नकल मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी (प्रदर्श–2) का गहनता से अवलोकन किया। रेस्पो. द्वारा अपनी लिखित बहस के साथ संलग्न दस्तावेजों नकल जमाबंदी ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा संवत् 2071–2074, नकल खसरा गिरदावरी ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा संवत् 2071–2074, नकल जमाबंदी ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा संवत् 2035–2038, नकल मिलान क्षेत्रफल भू प्रबंध विभाग, ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा संवत् 2038–2057, नकल जमाबंदी ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा संवत् 2038–2057, नकल खसरा गिरदावरी ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा संवत् 2063–2066 व नकल खसरा गिरदावरी ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा संवत् 2059–2062 का भी अवलोकन किया। जहां तक सम्मन तामील का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 14.11.2022 में अंकित है कि "पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। वादी वकील द्वारा पूर्व मे जारी सम्मन वापस लौटकर प्राप्त हुये। जिस पर तहसीलदार द्वारा नोट लिखा गया कि पक्षकार द्वारा सम्मन लेने से इन्कार कर दिया। अतः सम्मन सम्यक तामील में माना जावेगा चूंकि प्रतिवादियों द्वारा सम्मन लेने से इंकार किया गया अतः प्रतिवादियो के विरूद्ध एक–पक्षीय किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 23.11.2022 को पेश हो" अपीलांट ने स्वयं अपनी लिखित बहस के बिन्दु संख्या 3 में अंकित किया है कि "अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी पी सी के प्रावधानो का उल्लंघन किया है जिसमे दिनांक 9–11–2022 से जब अपीलाण्ट/प्रतिवादी से तामील करवायी गयी उक्त दिनांक के 30 दिवस पश्चात एकतरफा कार्यवाही की जानी चाहिए थी जो नही की गयी मात्र 5 दिवस मे ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी जो विधि विरुद्ध है।" अपीलांट का यह तर्क मान्य नहीं है कि तामील की दिनांक से 30 दिवस की अवधि पश्चात् एकतरफा कार्यवाही की जानी चाहिए। अतः यह प्रतीत होता

है कि अपीलांट प्रतिवादी संख्या 01 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद की जानकारी हो गयी थी। अपीलांट प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत अपील की बिन्दु संख्या 3 व लिखित बहस के अनुसार कृषि आराजी खसरा नंबर 1125 रकबा 0.52 है0 पर जाने का रास्ता वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की कृषि आराजी के समीप खाल की खाली पड़ी सरकारी जमीन मे से होकर जाता है जो कि लगभग 15 फीट चौडा रास्ता है उक्त रास्ता मुख्य सडक से अपीलांट प्रतिवादी की कृषि आराजी तक जाता है, जिसका उपयोग अपीलांट प्रतिवादी द्वारा कई वर्षो से किया जा रहा है। परन्तु उक्त वर्णित खाल की सरकारी भूमि का कोई विवरण खसरा नम्बर आदि तथा राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किये जाने से स्थिति स्पष्ट नहीं है तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी की रिपोर्ट में उक्त खाल की सरकारी भूमि के संबंध में कोई रिपोर्ट अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध संयुक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 12.05.2022 मे विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाना अंकित है तथा हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 30.07.2021 के अनुसार "वादी रेस्पोडेंटगण की आराजी खसरा नंबर 1124 रकबा 1.77 हे0 भूमि रवि प्रकाश शर्मा व राहुल शर्मा के नाम राजस्व रिकार्ड में खाते दर्ज है तथा अप्रार्थी मोडी बाई W/O कृपाशंकर व कृपाशंकर S/O भंवरलाल ने प्रार्थी के खेत पर जबरन रास्ता बनाकर कब्जा किया हुआ है तथा प्रार्थी के खेत पर दरवाजा लगाया हुआ है। जिसके फोटो रिपोर्ट के साथ संलग्न है तथा राजस्व रिकोर्ड में उक्त भूमि पर आम रास्ता दर्ज रिकोर्ड नही है।" इस प्रकार उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट की खातेशुदा आराजी खसरा नं. 1124 में जबरन कब्जा कर अतिक्रमण किया हुआ है। प्रकरण को प्रस्तुत दस्तावेजों एवं मौके की स्थिति की रिपोर्ट के प्रकाश में गुणावगुण पर विचार किया जाना उचित होगा। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.01.2023 में आदेश दिया गया है कि "वादीगण के खाते की आराजी पर प्रतिवादीगण के अतिक्रमी होने के कारण वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तहसील, लाडपुरा, जिला कोटा को ग्राम बनियानी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 1124, 1126 कुल किता 2 रकबा 2.40 हैक्टर की नियमानुसार पैमाईस की जाकर तथा प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा पाये जाने पर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर, वादीगण को उनके खाते की आराजी का कब्जा संभलाये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि थे, वियादित आराजी पर वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें।" प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में व विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की फाइंडिंग से स्पष्ट है कि अपीलांट ने रेस्पो. की भूमि खसरा सं. 1124 पर विधि–विरूद्ध अतिक्रमण किया हुआ है। अपील में भी अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेज,

तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वह सिद्ध कर सके कि उसके द्वारा किया गया बलपूर्वक अतिक्रमण किस प्रकार से वैध है? पक्षकारन के मौखिक बहस में भी यह तथ्य सामने आया है कि अपीलांट ने विधि विरूद्ध वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 के खेत पर फाटक लगा दिया है, जो विधि अनुसार सही नहीं है। रास्ते की समस्या व दूसरे काश्तकार की भूमि मे विधि–विरूद्ध अतिक्रमण दोनो अलग–अलग समस्याएं है। जहाँ तक अपीलांट की भूमि तक पहुंचने हेतु रास्ते का प्रश्न है तो अपीलांट स्वतंत्र है कि वह विधि अनुसार रास्ते के सम्बंध मे सक्षम स्तर पर आवेदन कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व कार्मिक की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 विवादित आराजी खसरा नम्बर 1124, 1126 के अभिलिखित खातेदार है। फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 09.01.2023 में तहसीलदार, लाडपुरा को आराजी खसरा नं. 1124 व 1126 कुल किता 2 रकबा 2.40 है0 की पैमाईस के आदेश दिए है तथा प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा पाए जाने पर ही उन्हें बेदखल करने के आदेश दिए है। गुणावगुण पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित है तथा हम इस आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः प्रस्तुत तथ्यात्मक व विधिक स्थिति के प्रकाश मे अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.01.2023 बहाल रखा जाता है।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 20.03.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या– 2023/53

मोडी बाई पत्नी कृपाशंकर जाति धोबी निवासी ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान ।

– अपीलांट

बनाम

1. रवि प्रकाश शर्मा आत्मज जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं 552, सेक्टर 7, केशवपुरा, कोटा(राज0)।
2. राहुल शर्मा आत्मज जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं 552, सेक्टर 7, केशवपुरा, कोटा(राज0)।
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार लाडपुरा, कोटा(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

वाद संख्याः 80A/22

1. रवि प्रकाश शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा
2. राहुल शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा
   जाति ब्राह्मण निवासीगण मकान नं 552, केशवपुरा सेक्टर 7, कोटा।

——वादी

बनाम

1. मोडी बाई पत्नी कृपाशंकर
2. कृपाशंकर पुत्र भंवरलाल
3. रामावतार पुत्र कृपाशंकर
4. शम्भूदयाल पुत्र कृपाशंकर
5. श्याम बिहारी पुत्र कृपाशंकर
   जाति धोबी निवासीगण 143, वार्ड नं. 5, ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

——प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद सख्या 80A/22 में न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.01.2013 के विरूद्ध उक्त अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील स्वीकार फरमाई जावे।

2. उक्त अपील तारीख 20.03.2023 को बहाजरी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की उक्त अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.01.2023 बहाल रखा जाता है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

यह डिक्री आज तारीख 20.03.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा